114

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

1– इशहाक मोहम्मद पुत्र श्री वशीर खॉ
निवासी – बांलापुरा श्योपुर (म..प्र.)
2– जगपाल सिंह पुत्र श्री फतेह सिंह
3– शांति देवी
4– श्याम कुमार गर्ग पुत्र श्री केदार लाल गर्ग
5– अंग्रेज सिंह पुत्र श्री भजन सिंह
6– धन्नालाल पुत्र श्री छोटेलाल
निवासीण– श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

खुशवन्त सिंह पुत्र श्री शादीराम
निवासी– श्योपुर हाल निवास कोलम्बिया

-- अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/13–14 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 28.5.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम श्योपुर पटवारी हल्का नं. 53 में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 424, 427/1, 429/2, 430, 433, 434, 435, 436/2, 439, 438, 440, 441, 442, 447/2ख, 443, 447/2ख तथा 447/2 ग कुल किता 17 कुल रकवा 63 बीघा 3 विस्वा पर महिला गुरूशरण पुत्री प्रताप सिंह पत्नी स्व. शादीराम के स्थान पर नामान्तरण हेतु आवेदन पेश किया।
2. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में भूमि स्वामी महिला गुरूशरण की मृत्यु बिटिश कोलम्बिया कनाडा में होने के कारण मृतका के पुत्र खुशवन्त सिंह एवं कमलजित सिंह होना व्यक्त किया है, इस आधार पर नामान्तरण आवेदन प्रस्तुत किया गया था। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अपने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3064/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9-9-16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 14/2013–14 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 28.05.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि खुशवंत सिह द्वारा एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि कि मूल भूमि स्वामी महिला गुरूशरण की मृत्यु कोलम्बिया में हो गयी है, ऐसी स्थिति में मूल भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाने से वारिसान का नामान्तरण किया जाये। जिसपर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर आदेश दिनांक 22.10.2013 को आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि मूल भूमि स्वामी की मृत्यु की स्थिति तथा वारिसान की पुष्टि इस न्यायालय की सीमा से बाहर है। इस बावत् सक्षम सिविल न्यायालय के वास्तविक भूमि स्वामी के संबंध में मृत्यु होने की तस्तीक एवं वारिसान घोषित किया जाये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 28.05.2016 से स्वीकार कर अनावेदक खुशवंत सिंह पुत्र शादीराम का नामान्तरण किये जाने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक के	

तर्क सुने गये एवं उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा इस वैधानिक तथ्य की कोई जॉच नहीं की गयी है, कि मूल भूमि स्वामी की मृत्यु बिटिश कोलम्बिया कनाडा में हो गयी है। ऐसी स्थिति में मूल भूमि स्वामी की मृत्यु की स्थिंति तथा वारिसान की पुष्टि तहसील न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि यह कार्यवाही उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है। किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना जो नामान्तरण का आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को मे बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक में काटपीट की गयी है यहॉ तक कि खसरे में जो इन्द्राज किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के आदेश दिनांक 28.02.2016 के अनुसार इन्द्राज दुरूस्त किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि आदेश दिनांक में स्पष्ट रूप से काटपीटं की गयी है जो शंकास्पद है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो पर विचार किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2013 से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र इस आधार पर निरस्त किया था कि मूल भूमि स्वामी की मृत्यु की स्थिति तथा वारिसान की पुष्टि किया जाना न्यायालय के सीमा क्षेत्र से बाहर है क्योंकि मूल भूमि स्वामी की मृत्यु बिटिश कोलम्बिया कनाडा में हुयी है। ऐसी स्थिति में तहसील

न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक तथ्य पर कोई विचार नहीं किया है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो आदेश दिनांक 28.05.2016 को पारित किया है उसमें काटपीट की गयी है जो आदेश से स्पष्ट है इसके अलावा आवेदक अभिभाषक द्वारा खसरे की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28.02.2016 का उल्लेख है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट है कि आदेश दिनांक में काटपीट की गयी है जो संदेहास्पद है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में प्रकरण क्रमांक 12/91–92/अ–6 अ , में पारित आदेश दिनांक 24.10.1994 एवं प्रकरण क्रमांक 8/95–96/अ–46 पारित आदेश दिनांक 05.01.1996 तथा 8/99–2000/अ–6–अ पारित आदेश दिनांक 26.12.2001 एवं प्रकरण क्रमांक 24/06–07/अ–6–अ पारित आदेश दिनांक 03.09.2007 एवं प्रकरण क्रमांक 200/12–13/अ–6/अ में पारित आदेश दिनांक 22.10.2013 का उल्लेख किया गया है जबकि इस संबंध में अपीले प्रस्तुत नहीं की गयी थी ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेशों को निरस्त किया जाना वैधानिक नहीं है। आवेदकगण का विवादित भूमि पर विगत 30 वर्षो से कब्जा कास्त करके चला आ रहा है जिसके संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसे बिना किसी कारण के अपास्त किया गया। इस प्रकरण में मुख्य विवाद स्वत्व के संबंध में है जिस हेतु व्यवहार न्यायालय सक्षम है। तथा राजस्व अभिलेख में निगरानी कर्तागण के प्रश्नाधीन भूमि पर स्वामित्व को निरस्त नहीं किया जा सकता। उपरोक्त स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचार किये बिना आदेश पारित किया वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2016

एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2013 त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभय पक्षों को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर करें। तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह राजस्व अभिलेखों में पूर्व की स्थिति कायम रखी जाये इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाये।

सदस्य